

Title: Demand to take stern action against the guilty police officials responsible for the murder of a person during farmers agitation in Madhya Pradesh.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : सभापति महोदय, आज सुबह से किसानों के बारे में माननीय सदस्य चिन्ता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों ने पानी के लिए प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के समय रखी गई उनकी मांगें मान ली गईं। जब किसान प्रदर्शन स्थल से चले गए तो चार किलोमीटर दूर पलारी में राजेश राय नामक किसान की पुलिस ने गोली मार कर हत्या कर दी। पहले उनके खिलाफ धारा 302 की कार्रवाई नहीं हुई। जिस क्षेत्र में यह हत्या हुई, वहां से वन मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने प्रयत्न किया वह भी संदेह के घेरे में हैं। इसी कारण बाद में धारा 302 की कार्रवाई होने के बाद दोगी पुलिस अधिकारियों और राज्यों के अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। केन्द्र सरकार के गृह मंत्री को हम सभी सांसदों ने मिल कर एक ज्ञापन दिया है कि धारा 302 के अन्तर्गत कार्रवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाए। आज किसानों को लेकर चिन्ता व्यक्त की जा रही है। उनकी मांगें मानने के बाद केवल पानी छोड़ना था। मांगें मानने के बाद उन नेताओं ने कहा कि हम गेट खोलते हैं। धोखे में रख कर उस नौजवान की हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश सरकार कटघरे में है। इसलिए केन्द्र सरकार अपनी एजेंसी से इस मामले की जांच कराए। जिस लोक सभा क्षेत्र में यह हत्या हुई वह माननीय त्रिपाठी जी का क्षेत्र है। उन्होंने भी इसका नोटिस दिया है। आप केन्द्र सरकार को निर्देश दें ताकि इस मामले की जांच हो सके। दोगी अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : सभापति महोदय, मैं भी इससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : सभापति महोदय, किसानों ने सिंचाई और बिजली की मांगों को लेकर एक फरवरी को पल्लारी में प्रदर्शन किया। संबंधित अधिकारियों से बातचीत हुई। उनकी मांगें मान ली गईं। उस प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेता डाक्टर प्रमोद राय जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, कर रहे थे। आन्दोलन समाप्त होने के बाद आन्दोलन स्थल से चार किलोमीटर दूर पुलिस ने ड्युटीपूर्वक गोली चला दी जो सीधे राजेश राय के सीने में लगी। वह प्रमोद राय के भाई हैं। गोली आर-पार हुई और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। केवाड़ी विधान सभा क्षेत्र जहां यह गोलीकांड हुआ, वह मध्य प्रदेश के एक प्रभावशाली मंत्री का निर्वचन क्षेत्र है। दो साल से उनके परिवार को लगातार धमकी दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि अगर यह नेतागिरी बंद नहीं की तो निपटा दिए जाओगे। यह उसी का परिणाम है। इस मामले की एफ.आई.आर. दर्ज है। * मध्य प्रदेश सरकार इस मामले की लीपा-पोती करने में लगी है। एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद आज तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र एक जांच एजेंसी नियुक्त करे। (व्यवधान)

** Expunged as ordered by the Chair*

सभापति महोदय : प्रहलाद सिंह जी ने पूरा विचार रख दिया है। आपने भी अपने विचार रख दिए हैं। अब आप बैठ जाएं।

श्री रामनरेश त्रिपाठी : आप इस बारे में केन्द्र सरकार को निर्देश दें। प्रदेश सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

सभापति महोदय: संसदीय कार्य मंत्री ने आपकी बात को सुना है। वह चाहें तो कर सकते हैं।